छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7-42/2016/ एक-6 **नया रायपुर दिनांक 26 दिसम्बर 2016**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),
(छत्तीसगढ़).

विषय :— मीडिया के समक्ष शासकीय पक्ष रखने हेतु शासकीय प्रवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

—0—

अविभाजित मध्यप्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11—28/99/1/9 दिनांक 3 मई, 1999, जिसका अनुकूलन इस राज्य में किया गया है, में समाचार पत्रों में शासकीय कार्य के संबंध में छपे गलत लेखों का खण्डन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2—2/2015/1—3, दिनांक 24 सितम्बर 2015 द्वारा मीडिया के समक्ष बाईट/वक्तव्य देने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी एवं संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है।

2/ इसी तारतम्य में राज्य शासन द्वारा इस संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने शासकीय पक्ष रखने के लिए स्थायी रूप से शासकीय प्रवक्ता भी नियुक्त किए जाएं, ताकि संबंधित विषयों में मीडिया के माध्यम से वस्तुस्थिति की जानकारी जनता तक पहुंच सके और लोगों में भ्रामक जानकारी न फैलने पाए।

3/ अतएव राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित विषयों से जुड़े मामलों में प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष शासकीय पक्ष रखने के लिए शासकीय प्रवक्ता के रूप में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्र	स्थायी शासकीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त अधिकारी का पद नाम	संबंधित विषय/मामले
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग	कानून व्यवस्था की स्थिति, LWE (Left wing Extremism) से संबंधित मामले।
2.	प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग एवं आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क	शेष अन्य मामले, जो विकास कार्य अथवा शासकीय योजनाओं अथवा शासकीय संस्थानों से संबंधित हों।

......2...

G:\Prawakta 2.docx

4. क्रियान्वयन की प्रक्रिया :–

(i) शासकीय प्रवक्ता द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य योग्य विषयों का चयन आवश्यकतानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय और जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जाएगा और संबंधित विभागों को अवगत कराया जाएगा।

(ii) चयनित विषयों पर संबंधित विभागों द्वारा सम्पूर्ण जानकारी शासकीय प्रवक्ता को उसी दिन उपलब्ध करानी होगी।

(iii) संबंधित विभाग विषय से संबंधित जानकार और सक्षम विभागीय अधिकारी का सम्पर्क नम्बर भी शासकीय प्रवक्ताओं को उपलब्ध कराएगा, ताकि अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर शासकीय प्रवक्ता उनसे सम्पर्क कर सके।

5. चूंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया का स्वरूप भिन्न–भिन्न है। अतः इन माध्यमों पर शासकीय पक्ष रखने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :–

5.1 प्रिन्ट मीडिया हेतु व्यवस्था :–

(i) उपरोक्त कंडिका 4.1 में चयनित विषयों के संबंध में संबंधित विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा प्रातः 11 बजे तक परीक्षण किया जाएगा तथा खंडन योग्य खबरों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी सहित उसका प्रतिवेदन (प्रेस विज्ञप्ति के रूप में) शाम 4.00 बजे तक सचिव, जनसम्पर्क को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही विषय से भलीभांति परिचित विभाग के सक्षम अधिकारी और संबंधित विभागाध्यक्ष का नाम एवं उनका सम्पर्क नम्बर भी जनसम्पर्क विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विषय से संबंधित अधिक जानकारी, यदि आवश्यक हो तो उनसे प्राप्त की जा सके।

(ii) यदि संबंधित विषय की खबर सच पाई गयी हो तो, उस पर प्रारंभ की गयी सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी और सुधार के लिए अधिकृत अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष को दिए गए निर्देशों की एक प्रति शाम 4.00 बजे तक प्रेस विज्ञप्ति के साथ सचिव, जनसम्पर्क को उपलब्ध करायी जाएगी।

(iii) संबंधित विभागों से शासकीय प्रवक्ताओं को मिलने वाली प्रेस विज्ञप्ति वे जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से मीडिया को जारी करेंगे अथवा आवश्यक होने पर मीडिया को आमंत्रित कर उसकी ब्रीफिंग करेंगे।

5.2 सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु व्यवस्था :–

सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्काल अधिकृत सूचना देने की आवश्यकता होती है और उसमें प्रिन्ट मीडिया की भांति शाम तक का समय उपलब्ध नहीं रहता है। अतः इस हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :–

......3...